अध्याय–24

वित्तीय विषयों संबंधी प्रक्रिया

बजट

राष्ट्रपति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में 'वार्षिक वित्तीय विवरण'—भारत सरकार की अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण—संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखने के लिए निर्देश देता है।[1] वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे अन्यथा बजट के रूप में जाना जाता है, दो भागों में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात् रेलवे वित्त से सम्बन्धित रेल बजट और सामान्य बजट, जो रेलवे को छोड़कर भारत सरकार की वित्तीय स्थिति की सम्पूर्ण तस्वीर पेश करता है।

बजट को प्रस्तुत करने की तिथि राष्ट्रपति के निर्देशानुसार निर्धारित की जाती है।[2] परम्परा के अनुसार रेल बजट लोक सभा में फरवरी के तीसरे सप्ताह में किसी समय और सामान्य बजट प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के अंतिम कार्य-दिवस को प्रस्तुत किया जाता है।[3] इसके साथ ही साथ सम्बन्धित बजट की प्रतियां राज्य सभा के पटल पर रखी जाती हैं।

> एक मौके पर अंतरिम रेल बजट, जिसे लोक सभा में 27 फरवरी, 1996 को प्रस्तुत किया गया था, राज्य सभा के पटल पर उसी दिन नहीं रखा जा सका, क्योंकि सभा की बैठक अव्यवस्था के कारण स्थगित कर दी गई थी। बजट अगले दिन पटल पर रखा गया था।[4]

> सन् 1953 में 1953-54 के लिए रेल बजट रेल मंत्री, जिन्हें लोक सभा में उत्तर देना था, की अनुपस्थिति में सभा के नेता द्वारा सभा पटल पर रखा गया।[5]

चुनाव के वर्ष में बजट दो बार प्रस्तुत किया जा सकता है, पहले कुछ महीनों के लिए लेखानुदान और बाद में सरकार की सुविधा के अनुसार किसी तिथि को पूर्ण बजट।

> बजट सत्र आरम्भ होने से कुछ दिन पूर्व संसदीय कार्य मंत्रालय उस सत्र के दौरान सम्पन्न किये जाने वाले वित्तीय कार्यों की तिथियों का एक अस्थायी कार्यक्रम सचिवालय को भेजता है। इसे सदस्यों की सूचना के लिए बुलेटिन में प्रकाशित किया जाता है।[6]

वार्षिक वित्तीय विवरण में अन्तर्निहित व्यय के अनुमान, उस व्यय, जिसे संविधान ने भारत की संचित निधि पर प्रभारित किया है, को पूरा करने के लिए तथा अन्य व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक राशियों को अलग-अलग दर्शाते हैं।[7] प्रभारित व्यय को संसद् में मतदान के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन इस पर संसद् के किसी भी सदन में चर्चा की जा सकती है।[8] अन्य व्यय, अनुदान मांगों के रूप में लोक सभा में प्रस्तुत करना पड़ता है। लोक सभा को किसी मांग पर अपनी सहमति देने या उसे अस्वीकार करने का विशेष अधिकार होता है अथवा वह किसी मांग में उल्लिखित राशि की कटौती की शर्त पर अपनी सहमति प्रदान कर सकती है।[9]

बजट सेटों का वितरण

बजट पत्रों के सेट —जिनमें वित्त मंत्री का भाषण (भाग क और ख); संघ सरकार का बजट; बजट पर व्याख्यात्मक ज्ञापन; बजट एक झलक; वित्त विधेयक; वित्त विधेयक के उपबंधों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन;

अनुदान मांगों का संक्षिप्त विवरण; बजट दस्तावेजों की कुंजी; अनुदान मांगों संबंधी पुस्तकें शामिल हैं—सदस्यों में वितरित करने के लिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त किए जाते हैं। उनको बजट की प्रति राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के बाद सभा कक्ष की बाह्य लॉबी में सदस्यों को वितरित किया जाता है। सदस्यों को संसदीय समाचार भाग–2 के एक पैरे द्वारा बजट सेटों को प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाता है।[10]

वित्त विधेयक का कथित रूप से पहले ही पता चल जाना

2 मार्च, 1970 को कुछ सदस्यों ने सभा में शिकायत की कि उन्हें बजट प्रस्तुत करने के पश्चात् 28 फरवरी, 1970 को समय पर बजट सेट सप्लाई नहीं किए गए थे। दूसरे दिन वित्त विधेयक म॰ प॰ 10.00 बजे के बाद लोक सभा में प्रस्तुत किया गया लेकिन बजट सेट (जिसमें वित्त विधेयक शामिल था) सदस्यों को पहले वितरित किए गए थे। सदस्यों ने कहा कि बजट–कराधान प्रस्तावों का पहले ही पता चल गया है—क्योंकि वित्त विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व उसकी प्रतियां सदस्यों में बांटी गई हैं।[11] इस मामले के संबंध में सभापति ने निम्नलिखित व्यवस्था दी:

> 2 मार्च को राज्य सभा की बैठक में कुछ माननीय सदस्यों ने वित्त विधेयक, 1970 के पुर:स्थापन तथा उसके परिचालन के सम्बन्ध में कुछ मुद्दे उठाए। मैंने मामले की जांच करने तथा उस पर अपनी राय देने का वायदा किया था। संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार की अनुमानित आय एवं व्यय का एक विवरण संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष रखा जाता है। इस उपबंध का अनुसरण करते हुए 1970–71 के लिए भारत सरकार की अनुमानित आय एवं व्यय का एक विवरण 28 फरवरी को राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इस विवरण में वित्त विधेयक शामिल नहीं है, जिसे इस अवस्था में राज्य सभा के पटल पर नहीं रखा जाता है। वित्त विधेयक लोक सभा में पुर:स्थापित किया जाता है और इसे उस सभा द्वारा पारित किये जाने के बाद ही औपचारिक रूप से राज्य सभा के पटल पर रखा जाता है। यहां पर बजट के पहले पता चल जाने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि कराधान प्रस्ताव जो बजट के भाग–ख में शामिल थे, लोक सभा सदस्यों को बजट भाषण के दौरान पता चल गए थे और बजट पत्र उसके बाद वितरित किये गए थे।
>
> तथापि, वित्त विधेयक की प्रतियां सदस्यों को वितरित बजट पत्रों का हिस्सा होती हैं। राज्य सभा के सदस्यों को बजट पत्र 28 फरवरी की रात्रि को उनके निवासों पर प्राप्त हुई थीं। राज्य सभा में हमारा, लोक सभा में उक्त विधेयक के औपचारिक पुर:स्थापन से पूर्व इसके वितरण के प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। यह लोक सभा का मामला है। ऐसा प्रतीत होता है कि इससे संबंधित तथ्य एवं परिस्थितियां लोक सभा में 28 फरवरी को उसकी विशेष बैठक में जब यह विधेयक उस सभा में औपचारिक रूप से पुर:स्थापित किया गया था, स्पष्ट कर दिये गए थे।
>
> इसलिए यह मामला वहीं खत्म हो जाना चाहिए। यह सभा वित्त विधेयक पर तभी विचार करेगी जब उसे उचित समय पर लोक सभा में पारित करने के पश्चात् हमारे पास भेजा जाएगा।[12]

बजट का कथित रूप से पहले ही पता चल जाना

एक सदस्य ने बजट के कथित रूप से समय से पूर्व पता चल जाने के बारे में एक दिलचस्प मुद्दा उठाया। 29 फरवरी, 1984 को, जब वित्त मंत्री म॰ प॰ 6.32 बजे बजट पटल पर रख रहे थे तब सदस्य ने यह मुद्दा उठाया कि बजट का पहले ही पता चल गया है क्योंकि उसे उस दिन म॰ प॰ 6.30 बजे आकाशवाणी बुलेटिन के माध्यम से पहले ही प्रसारित किया गया था। उन्होंने अपना तर्क प्रस्तुत करने के बाद विशेषाधिकार के हनन की लिखित सूचना दी और 1 मार्च, 1984 को भी यह मामला उठाया था। माननीय सभापति ने व्यवस्था दी : ''विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती (डि मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स) दो मिनट से विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता।'' सूचना अस्वीकार कर दी गई।[13]

बजट पर सामान्य चर्चा

बजट पर उस दिन कोई चर्चा नहीं होती है जिस दिन उसे प्रस्तुत किया जाता है।[14] बाद के दिनों में और उस समय के दौरान जिसे सभापति इस उद्देश्य के लिए आवंटित करते हैं, सभा बजट पर सम्पूर्ण रूप में अथवा उसमें शामिल सिद्धांत के किसी प्रश्न पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र होती है लेकिन कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जाता है और न बजट सभा में मतदान के लिए ही प्रस्तुत किया जाता है।[15] सभापति, यदि उपयुक्त समझें, भाषणों के लिए समय-सीमा निर्धारित कर सकते हैं।[16] वित्त मंत्री को (जिसमें कोई भी मंत्री शामिल है)[17] चर्चा की समाप्ति पर जवाब देने का सामान्य अधिकार होता है।[18] रेल बजट के मामले में यही प्रक्रिया लागू होती है और रेल मंत्री रेल बजट पर चर्चा के अंत में उत्तर देते हैं।

वित्तीय कार्य के लिए एक दिन आवंटित किये जाने के बावजूद भी विधेयक अथवा विधेयकों को पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव किये जा सकते हैं और सभा द्वारा उस कार्य को, जिसके लिए वह दिन नियत किया गया है, शुरू किये जाने से पूर्व विधेयक अथवा विधेयकों को उस तिथि को सभा में पुर:स्थापित किया जा सकता है।[19] इस संदर्भ में वित्तीय कार्य में वह कोई कार्य भी शामिल है जिसे सभापति संविधान के अंतर्गत इस श्रेणी के अधीन समझते हैं।[20]

> विगत में ऐसे अवसर आए थे जब सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा लोक सभा में आरम्भ होने से पूर्व राज्य सभा में आरम्भ हुई थी।
>
> राज्य सभा ने बजट (सामान्य) 1955-56 पर 3 मार्च, 1955 को सामान्य चर्चा शुरू की थी जबकि लोक सभा में यह चर्चा 16 मार्च, 1955 को आरम्भ हुई थी; बजट (सामान्य) 1959-60 पर सामान्य चर्चा राज्य सभा में 3 मार्च, 1959 को आरम्भ हुई, जबकि लोक सभा में यह 9 मार्च, 1959 को आरम्भ हुई थी। 1963 में, सामान्य बजट पर राज्य सभा और लोक सभा में सामान्य चर्चा क्रमश: 4 मार्च तथा 12 मार्च को आरम्भ हुई। 1965 में, राज्य सभा तथा लोक सभा में सामान्य चर्चा क्रमश: 10 और 22 मार्च को शुरू हुई। इसी प्रकार 2002 में, राज्य सभा तथा लोक सभा में बजट (सामान्य) पर चर्चा क्रमश: 18 और 19 मार्च, 2002 को हुई।[21]

मंत्रालयों के कार्यकरण पर चर्चा

विभाग-संबंधी समितियों को आरम्भ करने से पूर्व बजट पर सामान्य चर्चा के बाद राज्य सभा लगभग तीन सप्ताहों के लिए स्थगित की जाती थी, जिस अवधि के दौरान लोक सभा अनुदान मांगों पर मतदान करती थी और उसके पश्चात् वित्तीय कार्यों की बाकी अवस्थाओं अर्थात् विनियोग तथा वित्त विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण को सम्पन्न करने के लिए वह पुन: समवेत होती थी। सभा की बैठक पुन: आरम्भ होने के पहले सप्ताह में वह तीन या चार मंत्रालयों के कार्यकरण पर चर्चा किया करती थी। इस प्रक्रिया को आरम्भ करने की पृष्ठभूमि निम्नलिखित थी:

> 20 मार्च, 1970 को आयोजित कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में संसदीय कार्य मंत्री ने समिति को सूचित किया कि राज्य सभा के विभिन्न विरोधी ग्रुपों के नेताओं तथा कुछ अन्य सदस्यों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए सरकार राज्य सभा का अगला सत्र एक सप्ताह पहले अर्थात् 27 अप्रैल, 1970 से बुलाने पर सहमत थी ताकि सभा कुछ मंत्रालयों के कार्यकरण संबंधी प्रतिवेदनों पर चर्चा कर सके। समिति ने निश्चय किया कि उस सप्ताह के दौरान चुने हुए पांच मंत्रालयों में से चार मंत्रालयों के कार्यकरण पर चर्चा की जानी चाहिए।[22]
>
> 24 अप्रैल, 1970 को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि चर्चा, समय-सीमा रहित नियम 176 (अल्पकालिक चर्चा) के अनुसार होगी। कार्यावलि में एक मद '...मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा' होनी चाहिए, इसके अतिरिक्त इस उद्देश्य के लिए चार घंटे—म०प० 2.00 बजे से म०प० 6.00 बजे —आवंटित किए जाने चाहिए। एक दिन की बहस अगले दिन तक जारी नहीं रहनी चाहिए।[23]

> 16 जून, 1971 को समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मंत्रालय के बारे में चर्चा में भाग लेने के लिए सूचना देने वाले सदस्यों की परस्पर अग्रता बैलट द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। (परिणामस्वरूप सभी सदस्यों के नाम जिनकी ओर से सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, कार्यावलि में संबंधित मद के अंतर्गत सूचीबद्ध थे)।[24]

> 2 अप्रैल, 1985 को समिति ने सिफारिश की कि प्रत्येक मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा पूरे दिन जारी रह सकती है और संबंधित मंत्री को अगले दिन उत्तर देना चाहिए।[25]

> उक्त प्रक्रिया पर समिति द्वारा पुनर्विचार किया गया। उसने यह सिफारिश की कि उन सभी सदस्यों के नाम, जिन्होंने एक विशेष मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है, सूचीबद्ध करने की प्रथा समाप्त की जाये और केवल उसी सदस्य का नाम कार्यावलि में शामिल किया जाये, जो चर्चा आरम्भ करने वाला हो, और ऐसा नाम विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं की सर्वसम्मति से तय किया जा सकता है।[26]

इस प्रकार, राज्य सभा में वित्तीय कार्यों के दौरान एक नई प्रक्रिया विकसित की गई और वह पिछले तीन दशकों के दौरान सुस्थापित हो गयी थी। वर्तमान प्रथा, जिसे विभाग–संबंधित समिति प्रणाली आरम्भ करने के बाद भी नहीं बदला गया है, वह यह है कि कार्यमंत्रणा समिति नई प्रणाली के अन्तर्गत बजटकालीन सत्रावकाश के बाद सभा के पुन: समवेत होने के पहले सप्ताह में चर्चा के लिए तीन या चार मंत्रालयों/विषयों का चयन करती है। मंत्रालयों के कार्यकरण पर चर्चा आरम्भ करने वाले सदस्यों का चयन दलों/ग्रुपों द्वारा आपसी परामर्श से किया जाता है। कार्यावलि में केवल मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा संबंधी सामान्य मद का ही उल्लेख होता है। सभापीठ को एक निश्चित समय पर संबंधित दल/ग्रुप के नेता/सचेतक की ओर से जिस सदस्य का नाम पहले ही प्राप्त होता है, उसे चर्चा आरम्भ करने के लिए कहा जाता है और तत्पश्चात् वह अल्पकालिक चर्चा की तरह चलता है। सम्बन्धित मंत्री अंत में उत्तर देता है और चर्चा समाप्त हो जाती है।

विनियोग और वित्त विधेयक

भारत की संचित निधि में से विधि द्वारा निर्धारित विनियोग के अतिरिक्त कोई धन नहीं निकाला जा सकता है।[27] लोक सभा द्वारा अनुदान स्वीकृत करने के बाद उन सभी अनुदानों को पूरा करने के लिए अपेक्षित पूरी धनराशि भारत की संचित निधि में से विनियोग हेतु उपबंध करने के लिए एक विधेयक उस सभा में पुर:स्थापित किया जाता है और व्यय भारत की संचित निधि में प्रभारित किया जाता है। विनियोग विधेयक लेखानुदान, अनुदान अथवा अतिरिक्त अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों से संबंधित हो सकता है। चूंकि संविधान के अनुच्छेद 110 की परिभाषा के अंतर्गत वे धन संबंधी विधेयक होते हैं इसलिए राज्य सभा को उन्हें प्राप्त करने की तिथि से 14 दिन की अवधि के भीतर लौटाना होता है।

संविधान में उपबंध है कि संसद सामान्य विनियोग विधेयक पारित होने तक लेखानुदान, अर्थात्, अग्रिम अनुदानों की अनुमति दे देती है।[28]

> डा॰ अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान में लेखानुदान से संबंधित उपबंध शामिल किया, ने संविधान सभा में कहा था कि वित्तीय विवरण और सरकार के कराधान प्रस्तावों तथा व्यय प्रस्तावों पर संसद् में पूर्ण चर्चा होनी चाहिए। चूंकि ये चर्चाएं किसी वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पूर्व पूरी नहीं की जा सकती हैं; इसलिए यह उपबंध किया गया जिससे कि (संसद्) प्रत्येक मांग के अधीन एकमुश्त अनुदान स्वीकृत कर सके, ये अनुदान अल्पावधि, जब तक कराधान तथा व्यय संबंधी प्रस्तावों पर पूरी तरह चर्चा नहीं हो जाती तथा विनियोग अधिनियम पारित नहीं किया जाता है, के लिए सरकार का खर्च पूरा करने के लिए पर्याप्त होते हैं।[29]

सामान्यत: लेखानुदान केवल दो माह के लिए ही पारित होता है। लेकिन चुनाव वर्ष के दौरान अथवा जब यह पूर्वानुमान लगाया जाता है कि मुख्य मांगों तथा विनियोग विधेयक को संसद् द्वारा पारित किए जाने

में दो माह से अधिक समय लग सकता है, तब लेखानुदान दो माह से अधिक समय के लिए हो सकता है और यह तीन या चार महीनों के लिए हो सकता है, जैसाकि चुनावों के कारण 1996 और 2004 में हुआ था।[30]

प्रथा के अनुसार जब भी भारत की आकस्मिकता निधि से नई सेवा के लिए कोई धनराशि निकाली जाती है, तब संबंधित मंत्री दोनों सभाओं में एक वक्तव्य देता है।

> विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने ''प्रभारित व्यय'' को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से निकाली जाने वाली 1.80 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि के संबंध में एक वक्तव्य दिया था।[31]
>
> पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री ने संयुक्त राज्य अमरीका के फेयरफैक्स ग्रुप के साथ की गई व्यवस्थाओं के लिए उत्पन्न परिस्थितियों की जांच करने के लिए जांच आयोग के गठन हेतु निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि लेने के संबंध में एक वक्तव्य दिया था।[32]
>
> गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने, एक मामले में भारत की आकस्मिकता निधि से धनराशि निकालकर दिल्ली उच्च न्यायालय में जमा करने के संबंध में उक्त न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए एक वक्तव्य दिया था।[33]

यदि चालू वित्त वर्ष के लिए किसी विशेष सेवा पर खर्च की जाने वाली किसी विनियोग अधिनियम द्वारा स्वीकृत धनराशि उस वर्ष के उद्देश्यों के लिए अपर्याप्त है अथवा यदि चालू वित्त वर्ष के लिए ऐसी किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय के लिए आवश्यकता उत्पन्न हो गई है जिसके बारे में उस वर्ष के वित्तीय विवरण में विचार नहीं किया गया, तो उस वर्ष के लिए अनुमानित राशि को दर्शाने वाला एक अन्य विवरण संसद् के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाता है।[34]

जब संबंधित विनियोग विधेयक लोक सभा द्वारा पारित होने के पश्चात् राज्य सभा के समक्ष पेश किया जाता है, तब उसे अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदानों पर विचार करने का अवसर मिलता है।

यदि किसी सेवा में, उसके लिए उस वर्ष के दौरान स्वीकृत अनुदान राशि से अधिक धनराशि खर्च की गई है तो ऐसी अतिरिक्त धनराशि की मांग केवल लोक सभा में प्रस्तुत की जाती है।[35] व्यय वहन करने के पश्चात् अतिरिक्त अनुदान के लिए मांग की जाती है और इसे व्यय की 'अनुमानित' राशि के रूप में उल्लिखित नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस प्रकार के विवरण को राज्य सभा के पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जब संबंधित विनियोग विधेयक लोक सभा में पारित होने के पश्चात् राज्य सभा में पेश किया जाता है। तब उसे अतिरिक्त अनुदान पर चर्चा करने का अवसर मिलता है।

वित्त विधेयक के मामले में राज्य सभा संशोधन की सिफारिशें भी कर सकती है, जैसाकि विधान संबंधी अध्याय में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। राज्य सभा द्वारा विनियोग तथा वित्त विधेयक लौटाने पर वित्तीय कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंच जाता है। संसद् वित्तीय कार्य समय पर सम्पन्न करने के लिए संसद् के प्रत्येक सदन में इनसे संबंधित प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों को विधि द्वारा विनियमित कर सकती है।[36] अभी तक इस प्रकार का कोई विधान नहीं बनाया गया है।

> एक बार बजट पर सामान्य चर्चा पूरी होने से पहले ही विनियोग (लेखानुदान) विधेयक पर विचारण हुआ था और उसे लौटा दिया गया था। तथापि, सभा में इस बात पर सहमति हुई कि इसे एक पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।[37]
>
> 11 मार्च, 1991 को राज्य सभा ने कुछ ही घंटों की अवधि में रेलवे और सामान्य बजटों, चार राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के बजटों से संबंधित सत्रह विधेयकों तथा एक वित्त विधेयक को पारित किया था।[38]

टिप्पणियां और संदर्भ

1. अनुच्छेद 112 और नियम 181
2. नियम 181(1)

3. बजट के दिनों में राज्य सभा की बैठकों के लिए **देखिए,** अध्याय-11
4. संसदीय समाचार (1), 28.2.1996
5. राज्य सभा वाद-विवाद, 18.2.53, कालम 615
6. उदाहरण के लिए **देखिए,** संसदीय समाचार (2), 28.2.1995
7. अनुच्छेद 112(2) और (3)
8. अनुच्छेद 113(1)
9. अनुच्छेद 113(2)
10. उदाहरण के लिए **देखिए,** संसदीय समाचार (2), 10.4.1995
11. राज्य सभा वाद-विवाद, 2.3.1970, कालम 175–87
12. -वही-12.3.1970, कालम 106-07
13. फाइल संख्या 35/3/84–एल
14. नियम 181(2)
15. नियम 182(1)
16. नियम 182(3)
17. नियम 2
18. नियम 182(2)
19. नियम 184
20. नियम 184, स्पष्टीकरण
21. अध्याय 5 भी **देखिए**
22. कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 25.3.1970
23. -वही- 24.4.1970
24. -वही- 16.6.1971
25. -वही- 2.4.1985
26. -वही- 20.4.1987
27. अनुच्छेद 114
28. अनुच्छेद 116
29. शिवा राव, बी॰, दी फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज़ कांस्टीट्यूशन–ए स्टडी, पृष्ठ 441-42
30. वित्त मंत्री का भाषण (फरवरी 1996), पैरा 32 और (फरवरी 2004), पैरा 1
31. संसदीय समाचार (1), 9.5.1988
32. -वही- 28.4.1987
33. राज्य सभा वाद-विवाद, 4.4.1989, कालम 6
34. अनुच्छेद 115(1) (क)
35. अनुच्छेद 115(1) (ख)
36. अनुच्छेद 119
37. राज्य सभा वाद-विवाद, 30.7.1991, कालम 399-400
38. संसदीय समाचार (1), 11.3.1991